न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:– 12/40/2025 रजू दिनांक: 07.04.2025 रजि0 न0 2025/66

अपीलार्थी:–

श्री राकेश, निवासी 168, स्कीम नं0 4, अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)।

प्रत्यर्थी:–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राज0)

—:: निर्णय ::—

दिनांक:– 15.04.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 18.02.2025 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई थी, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 15.04.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक यू0आई0टी/आर.टी.आई./2025/257 दिनांक 08.04.. 2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा आरटीआई कमांक 62/25 श्री राकेश, निवासी 168, स्कीम नं0 4, अलवर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आवेदन कमांक 9988 दिनांक 18.02.2025 के द्वारा पट्टा पत्रावली की नकल चाही गई थी। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना स्पष्ट नहीं होने के कारण न्यास द्वारा अपीलार्थी को कार्यालय में उपस्थित होकर रिकॉर्ड का अवलोकन कर सूचना चिन्हित किए जाने हेतु न्यास पत्र कमांक 98–99 दिनांक 02.04.2025 को सूचना से अवगत कराया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत मय सलंग्नक जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन दिनांक 18.02.2025 के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा वांछित पट्टा पत्रावली की नकल के संबंध में सूचना से कार्यालय पत्रांक 98–99 दिनांक 02.04.2025 के द्वारा अपीलार्थी को भिजवाया जाना अंकित किया गया है। जबकि प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय को भिजवाए गये जवाब मय संलग्नक अपीलार्थी की सूचना प्रति में पत्रांक एंव दिनांक का अंकन ही नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि उपरोक्तानुसार वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना भिजवाया गई हो साथ ही कार्यालय हाजा को प्रस्तुत जवाब में प्रतिलिपि अपीलार्थी में भी पत्रांक/दिनांक का अंकन नही किया गया है। जिससे अपीलार्थी को वांछित सूचना/जवाब से अवगत कराया जाना प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः प्रत्यर्थी द्वारा भिजवाए गये अस्पस्ट जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि अपीलार्थी को वांछित सूचना से उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में आवश्यक रूप से जरिये पंजीकृत पत्र के माध्यम से अधिप्रमाणित कर उपलब्ध कराई जावे। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को जिस पत्र/प्रतिलिपि के माध्यम से सूचना भिजवाई जा रही है उस प्रति पर पत्र कमांक एवं दिनांक का पूर्ण अंकन किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)